न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/2019

अपीलान्टस

1. जसराजसिंह, 2. मदनसिंह, 3. पिन्टुसिंह 4. पपुसिंह पिसरान कानसिंह

5. हंजा कंवर धर्मपत्नि कानसिंह सभी जातियान राजपुरोहित

निवासीयान पटाउ कलां तहसील पचपदरा।

उत्तरदातागण

1. ग्राम पंचायत कुड़ी जरिये सरपंच
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा
3. हल्का पटवारी पटाउ कलां
4. मुरसिंह, 5. भीमसिंह 6. धनसिंह 7. कानसिंह पि0 मगसिंह
8. इन्द्र कंवर धर्मपत्नि मगसिंह
9. पनैसिंह पुत्र चुन्नीलाल
10. मंगलसिंह, 11. बाबूसिंह, 12. किशोरसिंह, 13. मोहनसिंह, 14. छगनसिंह पि0 शिवसिंह
15. गीतादेवी पुत्री शिवसिंह
16. भंवरी देवी धर्मपत्नि शिवसिंह सभी क्र. सं. 4 ता 16 जातियान राजपुरोहित निवासीयान पटाउ कलां

तहसील पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 491 दिनांक 05.07.2017 को पारित आदेश ग्राम पंचायत कुड़ी के द्वारा ।

उपस्थितिः– श्री जालमसिंह वकील अपीलान्टस

निर्णय दिनांक 21.01.2021

अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं उत्तरदागण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 96–06 बीघा सरहद मौजा पटाउ कलां में आया हुआ है, अपीलांटस संख्या 1 ता 4 के पिता एवं अपीलांटस संख्या 05 के पति स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 491 भरते समय उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह को फौत होना बताकर सहवन से अपीलान्टस को वारिसान बताये जाकर ग्राम पंचायत कुड़ी के द्वारा दिनांक 05.07.2017 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांटस संख्या 1 ता [illegible] एवं अपीलांटस संख्या 05 के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह [illegible]। अ[illegible]टस के द्वारा ग्राम पंचायत कुड़ी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 491 पर दिनांक 05.07.2017 [illegible] अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:51 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह के [illegible] अपील का जवाब प्रस्तुत कर [illegible] किया है कि स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह की फौतगी पर नामान्तरकरण भरते समय उसे उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह को गलत रूप से फौत होना बताकर सहवन से स्वीकृत किया गया है। अपीलान्टस की अपील को स्वीकार कर स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर अपीलान्टस

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावे तथा उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह का नाम यथावत दर्ज रखा जावे।

हमनें विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह स्पष्ट रुप से दर्ज है। स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह की फौतगी पर हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 491 भरते समय लिपिकीय त्रुटि से उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह को फौत होना बताकर सहवन से अपीलान्टस को वारिसान बताये जाकर ग्राम पंचायत कुड़ी के द्वारा दिनांक 05.07.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा पटाउ कलां के नामान्तरकरण संख्या 491 पर ग्राम पंचायत कुड़ी के द्वारा दिनांक 05.07.2017को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्वर्गीय कानसिंह पुत्र भीखसिंह की फौतगी बाद जांच नये सिरे से उत्तरदाता संख्या 07 कानसिंह पुत्र मगसिंह का नाम यथावत दर्ज रखा जाकर नामान्तरकरण पारित करे।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 21.01.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner